"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अगस्त 2014 — भाद्र 4, शक 1936

विमानन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-1/2012/45. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विमानन सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ विमानन विभाग सेवा भर्ती नियम, 2014 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जिसे सेवा या पद में नियुक्ति करने की शक्ति शासन द्वारा प्रत्यायोजित की गई हो या इसके पश्चात् की जाये;

   (ख) **"संचालक/उप संचालक"** से अभिप्रेत है ऐसे अधिकारी जो उस समय अभिहित पदों को धारण कर रहे हों;

   (ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन सीधी भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;

   (घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ङ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग (गैर-क्रीमी-लेयर);

   (छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद **342** के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) **"चयन समिति"** से अभिप्रेत है अनुसूची–दो एवं चार में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति/पदोन्नति समिति;

(ट) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ विमानन विभाग सेवा;

(ठ) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी:–

(क) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अथवा मेरिट एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची–चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या पदोन्नति द्वारा, जो विनिर्दिष्ट सेवाओं में निर्मित पदों को मूल/स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों।

(2) उप–नियम (1) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श पश्चात्, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.–** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.–** सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन

करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) उपरोक्तानुसार किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के आधार पर आयु में छूट दिये जाने के उपरांत शासकीय सेवा में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य अनुभव – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क– (क) अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा शुल्क– ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किया गया हो, को स्वास्थ्य परीक्षा होने के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.–** (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा/चयन हेतु उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ्य पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. **चयन/प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.–** (1) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें तीन सदस्य होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती ऐसे अंतरालों पर की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय–समय पर, अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती:**– (एक) सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन ऐसे अन्तरालों पर किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर, अवधारित करे।

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार के माध्यम से समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जायेगी।

(3) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) निःशक्त व्यक्तियों के लिये आरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा।

12. **चयन समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमी–लेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, उनकी (ऐसे अभ्यर्थियों की) मेरिट क्रम में सूची, तैयार करेगी और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी, जिसकी वैधता, नियुक्ति के लिए शासन को सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये विभाग की वेबसाईट पर अधिसूचित की जायेगी।

(3) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. परीवीक्षा.– सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**— (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची—चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप—नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध का भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) प्रत्येक पदोन्नति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार एवं मॉडल रोस्टर के अनुसार किया जायेगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप—नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन— नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन किया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप—धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

15. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्तें.**— (1) उप—नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची—चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप—नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की जनवरी के प्रथम दिन को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति में आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(3) शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश, पदोन्नति के लिये लागू होंगे।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.–** (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी।

(2) सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, सेवा में वरिष्ठता (वरिष्ठता सह उपयुक्तता) के क्रम में रखे जायेंगे।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार ऐसे चयन सूची की तैयारी के समय, कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार व्यवस्थित रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की वैधता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची की वैधता उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें इसे (चयन सूची) तैयार किया गया है, की तारीख से एक वर्ष की होगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण अथवा कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेंगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

19. **परिवीक्षा.**– पदोन्नति द्वारा पदस्थ किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

20. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **निरसन एवं व्यावृत्ति.**– (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 1 तथा 5 देखिये)

स.क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान		नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) वेतन बैंड (रू.)	(6) ग्रेड वेतन (रू.)	(7)
	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (राज्य स्तरीय)					
1.	सीएएमओ मैनेजर	01	अराजपत्रित	9300—34800	4400	संचालक
2.	सीनियर मैकेनिक, विमान	03	—तदैव—	9300—34800	4300	संचालक
3.	सीनियर मैकेनिक, हेलीकाप्टर	03	—तदैव—	9300—34800	4300	संचालक
4.	क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर	01	—तदैव—	9300—34800	4300	संचालक
5.	जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर (फ्यूल)	01	—तदैव—	9300—34800	4300	संचालक
6.	ऑपरेशन मैनेजर	01	—तदैव—	9300—34800	4300	संचालक
	तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय (राज्य स्तरीय)					
7.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300	—
8.	स्टेनोग्राफर—कम—कम्प्यूटर ऑपरेटर	03	—तदैव—	5200—20200	2400	संचालक
9.	स्टोर कीपर—कम—कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	—तदैव—	5200—20200	2400	संचालक
10.	लेखापाल	01	—तदैव—	5200—20200	2400	संचालक
11.	स्टेनो टायपिस्ट	01	—तदैव—	5200—20200	1900	संचालक
12.	सहायक ग्रेड—दो	01	—तदैव—	5200—20200	2400	संचालक
13.	सहायक ग्रेड—तीन	03	—तदैव—	5200—20200	1900	संचालक
14.	वाहन चालक	04	—तदैव—	5200—20200	1900	संचालक
15.	वाहन चालक एवं वाहन चालक—कम—क्लीनर	02	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300	संचालक
16.	टूल ब्वाय	01	—तदैव—	4750—7440	1300	संचालक
17.	भृत्य	01	—तदैव—	4750—7440	1300	संचालक
18.	चौकीदार	01	—तदैव—	4750—7440	1300	संचालक
	योग	31				

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिये)

स.क्र.	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति	टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिये	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिये	अन्य सेवाओं से सदस्यों की अस्थाई स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिये		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सीएएमओ मैनेजर	01	100%	–	–	–	
2.	सिनियर मैकेनिक विमान	03	100%	–	–	–	
3.	सीनियर मैकेनिक, हेलीकाप्टर	03	100%	–	–	–	
4.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	–	–	100%	–	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति पर
5.	ऑपरेशन मैनेजर	01	100%	–	–	–	–
6.	क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर	01	100%	–	–	–	–
7.	जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर (फ्यूल)	01	100%	–	–	–	–
8.	स्टेनोग्राफर–कम–कम्प्यूटर ऑपरेटर	03	100%	–	–	–	–
9.	स्टोर कीपर–कम–कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	100%	–	–	–	–
10.	लेखापाल	01	–	100%	–	संचालक विमानन द्वारा नामांकित	ऐसे सहायक ग्रेड–तीन से पदोन्नति द्वारा पद भरे जायेंगे जिन्होने लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की है

11.	स्टेनो टायपिस्ट	01	100%	—	—	—	—
12.	सहायक ग्रेड–दो	01	—	100%	—	संचालक विमानन द्वारा नामांकित	—
13.	सहायक ग्रेड–तीन	03	75%	25%	—	–तदैव–	—
14.	वाहन चालक	03	100%	—	—	–तदैव–	—
15.	वाहन चालक/वाहन चालक–कम–क्लीनर	03	100%	—	—	–तदैव–	—
16.	टूल ब्वाय	01	100%	—	—	–तदैव–	—
17.	भृत्य	01	100%	—	—	–तदैव–	—
18.	चौकीदार	01	100%	—	—	–तदैव–	—
	योग	**31**					

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हतायें	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सीएएमओ मैनेजर	21 वर्ष	45 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) डीजीसीए अनुमोदित संस्था से ए.एम.ई. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण/ मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/अनुमोदित संस्था से मैकेनिकल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा। (3) डीजीसीए से ए.एम.ई. लायसेंस एवं सी टी एवं ए एच सी या एच ए संवर्ग में बीएएमईएल/ बीएएमईईसी उत्तीर्ण। (4) सतत् उड़ान योग्यता प्रबंधन संगठन तथा रखरखाव के तरीके के ज्ञान सहित गुणवत्ता प्रणाली में 5 वर्ष का कार्यानुभव (बी—200 एरोप्लेन तथा अगुस्ता ए 109 ईपी हेलीकाप्टर में अनुभवी व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी)।	
2.	सीनियर मैकेनिक (विमान/हेलीकाप्टर)	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) महानिदेशक, नागर विमानन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। (3) विमान में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या हेलीकाप्टर मेंटेनेंस वर्क के क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये।	
3.	ऑपरेशन मैनेजर	—तदैव—	—तदैव—	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) महानिदेशक, नागर विमानन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सी पी एल या सिविल एयर लाइन्स में ऑपरेशन मैनेजर या अनुमोदित फ्लाईट डिस्पेचर ट्रेनिंग या समतुल्य पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए तथा उन संवर्गों में 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये।	
4.	क्वालिटी कन्ट्रोल मैनेजर	—तदैव—	—तदैव—	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) महानिदेशक, नागर विमानन विभाग द्वारा	

				मान्यता प्राप्त संस्थान से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिये। (3) संवर्ग ए एवं सी में ए एम ई लाइसेंस धारक होना चाहिये। (4) एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये।	
5.	जूनियर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर (फ्यूल)	21 वर्ष	45 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) डीजीसीए से अनुमोदित किसी संस्था से ए.एम.ई. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये या एयरक्राफ्ट रेफ्यूलर में एक वर्ष का कार्यानुभव आवश्यक है।	
6.	स्टोर कीपर--कम--कम्प्यूटर ऑपरेटर	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) कम्प्यूटर प्रचालन में दक्षता होना चाहिये। (3) महानिदेशक, नागर विमानन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिये। (4) संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिये।	
7.	स्टेनोग्राफर--कम--कम्प्यूटर ऑपरेटर	18 वर्ष	--तदैव--	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से:-- **(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये--** हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। **(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये--** अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति	

				के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। **(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये–** ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र और डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
8.	स्टेनो टायपिस्ट	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)। (3) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र और डाटा एण्ट्री में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
9.	सहायक ग्रेड–तीन	–तदैव–	–तदैव–	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र। (3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में	

				5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)।	
10.	वाहन चालक	–तदैव–	–तदैव–	(1) कक्षा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) भारी वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिये।	
11.	वाहन चालक एवं वाहन चालक–कम–क्लीनर	–तदैव–	–तदैव–	(1) कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी तब भी पात्र समझे जायेंगे यदि वे 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण न हों। (2) हल्के वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना चाहिये।	
12.	टूल ब्वाय	–तदैव–	–तदैव–	कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण।	
13.	भृत्य	–तदैव–	–तदैव–	कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण।	
14.	चौकीदार	–तदैव–	–तदैव–	कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण।	

अनुसूची—चार
(नियम 14 देखिये)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता की न्यूनतम अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यो के नाम	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड—तीन	5 वर्ष	सहायक ग्रेड—दो	1. संचालक, विमानन — अध्यक्ष 2. उप संचालक, विमानन — सदस्य 3. प्रशासकीय अधिकारी —कम—लेखाधिकारी — सदस्य 4. एक द्वितीय श्रेणी अधिकारी (आरक्षित वर्ग से) — सदस्य	
2.	सहायक ग्रेड—तीन	5 वर्ष	लेखापाल	—तदैव—	संचालनालय, विमानन विभाग के ऐसे सहायक ग्रेड—तीन को, लेखापाल के पद पर पदोन्नति दी जायेगी जिन्होने लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2014

क्रमांक एफ 1-1/2012/45. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2012/45, दिनांक 26-08-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन सिंह ठाकुर, अवर सचिव.

Raipur, the 26th August 2014

NOTIFICATION

No. F 1-1/2012/45 — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment in the Chhattisgarh Aviation Services, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement. – (1)** These rules may be called the Chhattisgarh Aviation Department Service Recruitment Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** :- In these rules, unless the context otherwise, requires :-

(a) **"Appointing Authority"** in respect of a service means such authority to whom the power of appointment to the service or post has been or may hereafter be delegated by the Government;

(b) **"Director/ Deputy Director"** means such officers who are holding the designated post at that time;

(c) **"Examination"** means competition examination to be taken for direct recruitment under rule 11;

(d) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(e) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

(f) **"Other Backward Classes"** means Other Backward Classes (Non-creamy-Layer) of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December 1984, as amended from time to time;

(g) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules;

(h) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified under Article 341 of the Constitution of India with respect to the State of Chhattisgarh;

(i) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified under Article 342 of the Constitution of India with respect to the State of Chhattisgarh;

(j) **"Selection Committee"** means a Selection Committee/ Promotion Committee as specified in Schedule-II and IV;

(k) **"Service"** means the Chhattisgarh Aviation Department Service;

(l) **"State"** means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.** - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.** – The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.- The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in the Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. Method of recruitment.—(1) After the commencement of these rules, recruitment to the service shall be done by the following methods:-

(a) by direct recruitment through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) by promotion as specified in Schedule -IV;

(c) by transfer or promotion of the persons holding specified posts in specified services substantively/permanently.

(2) The number of persons recruited under sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the Service so requires, the Appointing Authority may, with prior concurrence of General

Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the direction issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service .-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment. –** In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(I)Age- (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published;

(b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer);

(c)For women candidates the upper age limit shall be relaxable upto 10 years as per the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997;

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for any other post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;

(iii)A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years, even if represents more than one spell provided that, the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than 6 months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service;

(e) A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation- The term "Ex-Servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in the Government service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-

(a) Completion of short term engagement;

(b) On fulfilling the conditions of the enrollment.

(iii) Ex-servicemen (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

(iv) Ex-servicemen/Officers discharged after working for more than 6 months continuously against leave vacancies;

(v) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vi) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984;

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Award holder candidates and National Youth Award holder young candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note– (1) The candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule 8(d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or posts after submitting the applications.

(2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the selection.

(k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above category for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years;

(l) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time shall also be applicable.

(II) Educational qualifications and experience – The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in Schedule-III.

(III) Fees – (A) The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

(B) Medical fees- The candidate who has been required to appear before Medical Board must pay the fees as prescribed by the Government to the Chairman of the Medical Board before medical test.

9. **Disqualification.-** (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for written examination/ selection.

(2) Any male candidate who is having more than one living wife and any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule in such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical default which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that, if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

(4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, he/she is not fit for such service or post.

(5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

(6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.

(7) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001 :

Provided that no candidate shall be ineligible for appointment to a service or post who has already one living children and next delivery is on 26th January, 2001 or thereafter, in which two or more children are born.

10. Appointing Authority's decision about the eligibility of Candidate shall be final. – The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be permitted to appear in the examination.

11. Direct Recruitment by Selection/Competitive Examination.– (1) **Direct recruitment by competitive examination-** (i) A Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority, which shall consist of three members.

(ii) Recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(iii) Examination shall be conducted by the Selection Committee from time to time as per orders issued by the Appointing Authority.

(2) **Direct recruitment by Selection.–** (i) The Selection of candidates, for recruitment to the service, shall be made at such intervals as the Appointing Authority may determine from time to time.

(ii)The selection of the candidates to the service shall be made by the committee through interview.

(iii)The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued under this Act by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5)Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who are declared eligible for appointment by the Appointing Authority keeping in view their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6)There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Competent Authority that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience to the candidate of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for persons with disabilities shall be as per the directives of General Administration Department.

12. **List of Candidates Recommended by Selection Committee.**- (1) The Selection Committee shall prepare and forwarded a list to Appointing Authority, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who may not be qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Selection Committee for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women, disabled/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.

(2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Departmental website for information to the general public.

(3) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions and Service) Rules, 1961, candidates shall be

considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(4)The inclusion of the candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment.

13. **Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

14. **Appointment by promotion - (1)** There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV, for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the Committee, provisions of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding 1 year.

(3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.

(4) The procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

(5) Certification by the Appointing Authority - Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the

effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.

15. Conditions of eligibility for promotion/transfer- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on first day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made as specified in column (2) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of Computation for eligibility for promotion- The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened, shall be counted from the calendar year in which public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) The reservation in promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Paddonati) Niyam, 2003.

(3) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(4) Other provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

16. **Preparation of list of suitable candidates:-.**(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 and 15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion in service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of period of one year from the date of preparation of the select list. In addition to this a reserve list shall be prepared to fill the unexpected vacancies during the said period.

(2) Names of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority (seniority subject to fitness) in the service.

(3) Names of the employees shall be arranged as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of such select list as per Chhattisgarh Civil Service (General conditions for services) Rules, 1961.

Explanation- A person whose name is included in a select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. **Select list - (1)** The list as finally approved by the Appointing Authority shall be Select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (4) of the said Schedule.

(2) The validity of the select list shall be 1 year from the date of that calendar year in which it is prepared:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and if it deems fit, may remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the service from the select list- (1)** Appointment of the employees included in the select list shall be made to the post of service-cadre according to Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation.-** Every person who is posted by promotion shall be appointed on probation for a period of 2 years.

20. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Govemor to deal with the case of any person to whom these rules may apply, in such manner as may appear to him, to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with, in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. Repeal and Saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWAKARMA, Secretary.

SCHEDULE-I
(See rule 1 and 5)

S.No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	Pay – scale		Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) Pay band (Rs.)	(6) Grade pay (Rs.)	(7)
	Class – III Executive Cadre (State wide)					
1.	CAMO Manager	01	Non-Gazetted	9300-34800	4400	Director
2.	Senior. Mechanic, Aviation	03	-do-	9300-34800	4300	Director
3.	Senior Mechanic, Helicopter	03	-do-	9300-34800	4300	Director
4.	Quality Control Manager	01	-do-	9300-34800	4300	Director
5.	Junior Quality Control Officer (Fuel)	01	-do-	9300-34800	4300	Director
6.	Operation Manager	01	-do-	9300-34800	4300	Director
	Class-III Clerical Cadre (State wide)					
7.	Junior Accounts Officer	01	Class-III	9300-34800	4300	--
8.	Stenographer-cum-computer operator	03	-do-	5200-20200	2400	Director
9.	Store keeper-cum-computer operator	02	-do-	5200-20200	2400	Director
10.	Accountant	01	-do-	5200-20200	2400	Director
11.	Steno Typist	01	-do-	5200-20200	1900	Director
12.	Assistant Grade – II	01	-do-	5200-20200	2400	Director
13.	Assistant Grade – III	03	-do-	5200-20200	1900	Director
14.	Driver	04	-do-	5200-20200	1900	Director
15.	Driver and driver-cum-cleaner	02	Class-IV	4750-7440	1300	Director
16.	Tool Boy	01	-do-	4750-7440	1300	Director
17.	Peon	01	-do-	4750-7440	1300	Director
18.	Watchman	01	-do-	4750-7440	1300	Director
	Total	**31**				

SCHEDULE – II
(See Rule 6)

S.No.	Name of the post	Total number of posts	Percentage of duty posts to be filled in			Departmental Selection Committee	Remarks
			By direct recruitment See rule 6(1) (a)	By Promotion of member of the service See rule 6(1)(b)	By temporary transfer of members from other service See rule 6 (1)(c)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	CAMO Manager	01	100%	--	--	--	
2.	Senior Mechanic, Aviation	03	100%	--	--	--	
3.	Senior Mechanic, Helicopter	03	100%	--	--	--	
4.	Junior Accounts Officer	01	--	--	100%	--	On Deputation from Directorate, Treasury & Accounts
5.	Operation Manager	01	100%	--	--	--	--
6.	Quality Control Manager	01	100%	--	--	--	--
7.	Junior Quality Control Officer (Fuel)	01	100%	--	--	--	--
8.	Stenographer-cum-Computer operator	03	100%	--	--	--	--
9.	Store keeper-Computer operator	02	100%	--	--	--	--
10.	Accountant	01	--	100%	--	Nominated by the Director, Aviation	Post will be filled by promotion from Assistant Grade-III who has passed Accounts examination.
11.	Steno Typist	01	100%	--	--	--	--

12.	Assistant Grade-II	01	--	100%	--	Nominated by the Director, Aviation	--
13.	Assistant Grade-III	03	75%	25%	--	-do-	--
14.	Driver	03	100%	--	--	-do-	--
15.	Driver /Driver-cum-cleaner	03	100%	--	--	-do-	--
16.	Tool Boy	01	100%	--	--	-do-	--
17.	Peon	01	100%	--	--	-do-	--
18.	Watchman	01	100%	--	--	-do-	--
	Total	**31**					

SCHEDULE – III
(See rule 8)

S.No.	Name of service	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CAMO Manager	21 years	45 years	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board. (2) Should have passed A.M.E. course from DGCA approved institute/ Diploma in Mechanical Engineering from recognized College/approved Institute. (3) Should have passed A.M.E. License from DGCA and BAMEL/BAMEEC in category CT and AHC OR HA. (4) Should have Five years work experience in quality systems with knowledge of continuing airworthiness management organization (CAMO) and maintenance methods, (Preference will be given to individuals experienced on B-200 Aeroplane and Augusta A 109 EP Helicopter).	
2.	Senior Mechanic (Aero-plane / Helicopter)	21 years	30 years (35 years for domicile residents of Chhattisgarh)	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board. (2) Should have passed Aircraft maintenance course from any institution recognized by the Director General, Civil Aviation Department. (3) Should have 5 years of work experience in the field of Aircraft maintenance in aeroplane or helicopter maintenance work.	
3.	Operation Manager	-do-	-do-	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board. (2) Should have passed in CPL or Operation Manager in Civil Airlines or approved Flight Dispatcher training or an equivalent course from an institution recognized by the Director General, Civil Aviation Department and should have 5 years of working experience in similar category.	
4.	Quality Control Manager	-do-	-do-	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board. (2) Should have passed Aircraft maintenance course from an institution recognized by the Director General, Civil Aviation Department. (3) Should possess AME license in category A & C (4) Should have 5 years working experience in the field of Aircraft maintenance.	

5.	Junior Quality Control Officer (Fuel)	21 years	45 years	(1) Should have passed (10+2) Examination with the subject of Physics, Chemistry & Math from any recognized Board. (2) Should have passed A.M.E. course from any **DGCA** approved Institute Or one year work experience on Aircraft Refueller is essential.	
6.	Store keeper-cum-computer Operator	21 years	30 years (35 years for domicile residents of Chhattisgarh)	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board. (2) Should be efficient in Computer operation. (3) Should have passed Aircraft maintenance course from an institution recognized by the Director General, Civil Aviation Department (4) Should have 5 years working experience in the relevant field.	
7.	Stenographer cum-computer operator	18 years	-do-	1. Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. 2 From any recognized Board/Institute/Stenography (Shorthand) Typing Council :- (a) **For Stenographer (Hindi)-** Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) **For Stenographer (English)-** Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) **For Bilingual Stenographer-** Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
8.	Steno Typist	-do-	-do-	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.	

				(2) Speed of 60 words per minute in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
9.	Assistant Grade – III	-do-	-do-	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
10.	Driver	-do-	-do-	(1) Should have passed Class 10th examination. (2) Should possess Heavy driving license.	
11.	Driver and Driver-cum-cleaner	-do-	-do-	(1) Should have passed Class 8th examination. Scheduled Tribes candidate will be treated eligible even if they have not passed 8th examination. (2) Should posses Light vehicle license.	
12.	Tool Boy	-do-	-do-	Should have passed Class 5th examination.	
13.	Peon	-do-	-do-	Should have passed Class 5th examination.	
14.	Watchman	-do-	-do-	Should have passed Class 5th examination.	

SCHEDULE – IV
(See Rule 14)

S.No.	Name of Service or Post From Which Promotion is to be made	Min[illegible]iod of eligibility for p[illegible]tion to next higher post	Name of Service or post to which promotion is to be made	Name of Members of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Grade- III	5 years	Assistant Grade-II	1. Director, Aviation – Chairman 2. Dy. Director, Aviation – Member 3. Administrative Officer cum- Accounts Officer – Member 4. One Class-II Officer (from reserved category.) - Member	
2.	Assistant Grade- III	5 years	Accountant	-do-	An Assistant Grade III of Directorate, Aviation Department shall be promoted to the post of Accountant who has passed Accounts. examination.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWAKARMA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.